

IV 34

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

1836

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102905



गंगा प्रसाद सिंह  
Ganga Prasad Singh  
08.05.12

17/05/12

गाजीपुर

माँ कलावती एजुकेशनल रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट  
मुहल्ला-गोराबाजार, पोस्ट-पीरनगर, गाजीपुर (उप्र)

न्यास विलेख (Instrument of trust) :-

यह न्यास विलेख आज दिनांक 08-05-2012 को गाजीपुर में गंगा प्रसाद सिंह पुत्र स्व० इन्द्रदेव सिंह, मुहल्ला-गोराबाजार, पोस्ट-पीरनगर, विकासखण्ड-सदर, तहसील-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर उप्र० द्वारा घोषित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रुपया 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की राशि है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहस्रणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, क्योंकि यह ट्रस्ट माँ कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों में दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

क्रमशः—2

गंगा प्रसाद सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102906

17 JUN 2012

-2-

इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला-गोराबाजार, पोस्ट-पीरनगर, विकासखण्ड सदर, तहसील-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय आई०डी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोराबाजार, गाजीपुर होगा। अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समाधानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारा बंध घोषित किया जाता है।

मौ कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट, मुहल्ला-गोराबाजार, पोस्ट-पीरनगर, विकासखण्ड-सदर, तहसील-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर :-

(इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली :-

(1) ट्रस्ट के उद्देश्य :- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी०, आर०टी०आई०, आई०टी०आई०, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, बी०ए०, बी०एस०सी०, एम०ए०, एम०एस०सी० एवं सभी प्रकार के टेक्नालाजिक कालेज, मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पालिटेक्निक कालेज, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालों, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रवासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सर्वेक्षण केन्द्र, समुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान की स्थापना, नम करण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन। समाजोत्थान, सम्बन्धी समस्त कार्य आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत करा सकना।

गंगा प्रकाश सिंह

क्रमशः-3

705 - 215/12

914

100

निवेदन



यासं पत्र

15,000.00 150.00 60 210.00 3,000

न्याय की राशि  
श्री गंगा प्रसाद सिंह  
पुत्र श्री इन्द्रदेव सिंह

फीस राजस्वों सकल व प्रति शुल्क योग अन्त लयभोग

व्यवसाय वकालत

निवासी स्थायी मोराबाजार पो. पीरनगर शहर गाजीपुर

आधारिका पता 0

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 8/5/2012 समय 1:45PM

यदि निबन्धन हेतु देना किया।

गंगा प्रसाद सिंह



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

के.पी. सिंह  
उप निबन्धक सदर  
गाजीपुर  
8/5/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व सुझाने मजमून  
नवासी

श्री गंगा प्रसाद सिंह  
पुत्र श्री इन्द्रदेव सिंह  
पेशा वकालत  
निवासी मोराबाजार पो. पीरनगर शहर गाजीपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री दिग्विजय उपाध्याय  
पुत्र श्री उमाशंकर उपाध्याय  
पेशा शिक्षक

निवासी कैथवलिया परगना व जिला गाजीपुर

व श्री राकेश कुमार  
पुत्र श्री जयकरन राम

पेशा वकालत

निवासी हेतिमपुर परगना व जिला गाजीपुर

ने की।

प्रवक्तृ: पर माशियों के निश्चय अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।

दिग्विजय उपाध्याय

राकेश कुमार



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

के.पी. सिंह  
उप निबन्धक सदर  
गाजीपुर  
8/5/2012



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102907

-3-

2. ग्रामीण विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नदी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलगत विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि संगीत संबंधित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नवार्ड, कपार्ट, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।
10. प्राविधिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा की स्थापना एवं संचालन तथा आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आयरेशन टेक्निशियन, लेब टेक्निशियन, फिजीथेरेपी एवं मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंगहोम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाईपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अंधे, गुंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि के व्यवस्था करना।

गंगा प्रसाद मिश्रा

क्रमशः—4

27/5/12

6918

मि. ७  
मि. ७  
मि. ७

न्यासी

Registration No. :

37

Year :

2012

Book No. :

4

0101 गंगा प्रसाद सिंह

इन्द्रदेव सिंह

गोरखवाजार पो. पीरनगर शहर गार्जपुर

चकलत

गंगा प्रसाद सिंह



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 102891

17 APR 2012

14.

विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यावहारिक प्रायोगिक कलां, वाणिज्यक वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल आर्ट संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास, आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठके, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्ट्रिकन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट के द्वारा अगर प्रस्ताव आदि दिया जाता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमति से उसके द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों प्राविधिक एवं तकनीकी कालेजों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।


गंगा प्रकाश सिंह

क्रमशः—5

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 935335

—5—

21. विधिसम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एहस के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित, विकृति कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
29. उपमोक्षता अधिकार, पर्यावरण सुधार उत्तर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।

गंगा प्रसाद सिंह


क्रमशः—6



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935336

-6-

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/प्राविधिक एवं तकनीकी कालेजों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खड़जा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधी खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

क्रमशः—7


गंगा प्रकाश १९८२



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 935337


-7-

## (2) प्रारम्भिक सुपबन्ध :-

- वर्तमान में ट्रस्ट डीऊ के पंजीकरण के दिनांक से गंगा प्रसाद सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है। इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष, गंगा प्रसाद सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो गंगा प्रसाद सिंह की मृत्यु के पश्चात् आनन्द कुमार सिंह एवं अखण्ड प्रताप सिंह पुत्रगण गंगा प्रसाद सिंह इस ट्रस्ट के क्रमशः ट्रस्टी होंगे।
- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहें अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

## (3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :-

- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।


  
गंगा प्रसाद सिंह

क्रमशः—8

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935338

-8-

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे, तो कि इस ट्रस्ट की के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जबतक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।


गंगा प्रसाद मिश्रा

क्रमशः—9

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935339

-8-

#### (4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।


गंगा प्रसाद सिंह

क्रमशः—10

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935340

-10-

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तर दायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) कार्यक्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति की विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।


गंगा प्रसाद सिंह

क्रमशः—11

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 935341


-11-

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।


 गंगा प्रसाद सिंह

क्रमशः—12

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935342

-12-

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त, कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि इस ट्रस्ट डीब के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे :-

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।
3. इस ट्रस्ट डीब में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकता जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थित में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से उपाध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।


गंगा प्रसाद सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935343

-13-

## (12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्ता तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णयाक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्यधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

गंगा प्रसाद सिंह


क्रमशः—14



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935359

-14-

(13) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(14) बैंक एकाउन्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।


*डॉ. राजेश कुमार सिंह*

क्रमशः—15

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 935360

-15-

(15) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-


1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

गंगा प्रकाश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH


AC 935361

-18-

4. ट्रस्ट घल/अघल सम्पत्ति क्रय, विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. घल/अघल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय अनुज्ञप्ति, बन्धक, भारित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है। ले सकता है, दे सकता है।

(17) विशेष :-

- (क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था




क्रमशः—17

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु. 50



FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 935362

-17-

उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि यह इस डीड ऑफ ट्रस्ट में कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो यह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

- (ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्धमें अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। मैं कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित मैं कलावती एजुकेशनल, रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट गोरामाजार, पीरनगर, गाजीपुर के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित,


गंगा प्रकाश सिंह

क्रमसः—18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

AG 935363

-18-

घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त म्यांज विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण :-

1. नाम : गंगा प्रसाद सिंह  
पता : संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी
2. नाम : मों कलावती एजुकेशनल, स्तिर्य एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट  
पता : मुहल्ला-गोराबजार, पोस्ट-पीरनगर, विकासखण्ड-सदर, तहसील-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर


दिनांक : 08.05.2012

मसविदाकर्ता  
Munna Lal Advocate  
Reg. No  
U.P.1301/84 08.05.12

गंगा प्रसाद सिंह

U42 4157/2  
6033

के.पी. सिंह  
आ



★ श्रीमान् जिलाधिकारी ★  
★ ★  
★ 03 APR 2012 ★  
★ ★  
★ ★

आज दिनांक 08/05/2012 को  
वही सं 4 जिल्द सं 38  
पृष्ठ सं 247 से 284 पर क्रमांक 37  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
के.पी. सिंह

उप निबंधक सदर  
गाजीपुर  
8/5/2012